

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक एफ 1(23)नरेगा/नरेगा/मेट/ 2019/पार्ट-1/03810

जयपुर दिनांक - 17 MAY 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं,  
जिला कलक्टर,  
समस्त राजस्थान।

- विषय:** महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) द्वारा विभिन्न ब्लॉक्स में आयोजित मेट प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय भुगतान किये जाने के संबंध में।
- संदर्भ:** विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5 (21)ग्रावि/नरेगा/जनरल/2022-23/4012 दिनांक 19.12.2022, एफ 1 (23) ग्रावि/नरेगा/मेट/2019 / पार्ट-1 दिनांक 02.05.2023

उपरोक्त विषयायान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) से राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के महात्मा गांधी नरेगा मेट पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण दो पखवाड़ों में आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागी मेटों की उपस्थिति एवं प्रशिक्षण सत्र की कार्यवाही रिपोर्ट पत्र दिनांक 02.05.2023 के साथ संलग्न प्रपत्र-1में भरी जाकर पंचायत समिति में प्राप्त किये जावे, तदनुसार ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों के मानदेय का भुगतान किया जाना है। उक्त मेट प्रशिक्षण में संदर्भित पत्रों द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों को उक्त मेट प्रशिक्षण उपरान्त निम्नानुसार मानदेय भुगतान किया जावे:-

1. दो पखवाड़ों हेतु रूपये 500 प्रतिदिवस मानदेय भुगतान महात्मा गांधी नरेगा के प्रशासनिक मद से किया जावेगा।
2. मानदेय भुगतान कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस, पंचायत समिति संबंधित द्वारा पत्र दिनांक 02.05.2023 के साथ संलग्न प्रपत्र-1में प्राप्त रिपोर्ट जो कि संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी से सत्यापित/प्रमाणित होगी, के अनुसार किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण से संबंधित उक्त प्रपत्र-1 का रिकार्ड संबंधित पंचायत समिति में रखा जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar  
Designation : Commissioner  
Date: 2023.05.16 13:05:26 IST  
Reason: Approved

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस प्रत्येक बीआरपी को ग्राम पंचायतों का आवंटन (जिस ग्राम पंचायत के मेटों को प्रशिक्षण दिया जाना है) करते हुए दो पखवाड़ों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी करेंगे। पखवाड़े के प्रथम दिवस में सभी बीआरपी द्वारा उनके अधीन सभी ट्रेनी मेटों को एक साथ मेट के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों से संबंधित सैद्धान्तिक प्रशिक्षण पंचायत समिति स्तर पर दिया जावेगा। प्रथम दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वल्पाहार, स्टेशनरी आदि पर व्यय नियमानुसार प्रशासनिक मद से किया जावेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

**(शिवांगी स्वर्णकार)**  
**आयुक्त, ईजीएस**

**प्रतिलिपि :-**

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. श्री निखिल डे/पारस बंजारा, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, जयपुर को सूचनार्थ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

**अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस**

**Signature valid**

Digitally signed by Shiyangi  
Swarnkar  
Designation : Commissioner  
Date: 2023.05.16 13:05:26 IST  
Reason: Approved